



भा वा अ शि प - वन उत्पादकता संस्थान

(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद)

(वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त निकाय)
वालगतवा, एन.एच.-23, गुमला रोड, रांची 835303 (झारखण्ड)

ICFRE – INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY
(Indian Council of Forestry Research & Education)

(An Autonomous Body of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt of India)

Lalgutwa, Gumla Road, N.H.-23, Ranchi-835303 (Jharkhand)

Email:- dir_ifp@icfre.org, ifpranchi2018@gmail.com

Website:-www.ifp.icfre.gov.in

Phone: 0651- 2526140
2526150

फाईल संख्या स्थापना-III-17/2001-2002 //127

दिनांक 27.04.2023.

OFFICE ORDER / कार्यालय आदेश. क्र. आई-एफ.पी./10/2023-24

यह देखा गया है कि दौरों के कार्यक्रमों के प्रस्ताव को दौरों की समाप्ति के बाद अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अनुरोध की जा रही है जो लेखा प्रक्रिया और लेखापरीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक आपत्तिजनक है। अतः इस संस्थान के सभी सम्बंधित परियोजना अन्वेषक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दौरों पर जाने से पहले उनके अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दौरा कार्यक्रम प्रस्तावों को अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अग्रिम रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा न करने पर दौरों को अस्वीकृत माना जाएगा।

संबंधित प्रभागों/अनुभागों द्वारा फाइलों की प्रक्रिया के संबंध में यह पाया गया है कि विचाराधीन कागज/प्रपत्र (प्राप्त पत्र/आवेदन/दूर फॉर्म इत्यादि) के क्र.सं. संख्या को नोट शीट में उल्लेख नहीं किया जाता है, जिसके कारण PUC और नोटिंग के बीच संदर्भ नहीं होता है। इसलिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि PUC और नोट शीट में क्र.सं. डाले गये हैं साथ ही इसे अनुमोदन के लिए भेजने से पहले यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि PUC में उक्त क्रम सं. के लिए नोटिंग की जा रही है।

It has been observed that proposal of the tour programmes are put up for getting approval after completion of tour which is highly objectionable in view of accounting process and audit also. Therefore all PIs of this Institute should ensure that tour programme proposals are being submitted by their touring officers/officials well in advance for getting its approval before proceeding on tour failing which the Tour will be treated as Not Approved.

In regard to process of files by the respective Divisions/Sections, it has been found that Sl. No. of PUC (receipted letters/applications/Tour forms etc. are not mentioned in Receipt and Note Sheet as well while putting it up which causes lacking of reference between PUC and Noting. Therefore, it should be ensured that Sl. No. has been endorsed in PUC and Note Sheet and the noting is being made for the same serial number endorsed in the PUC before putting it up for approval.

(डॉ. योगेश्वर मिश्रा / Dr. Yogeshwar Mishra)

निदेशक / Director

ईमेल के माध्यम से सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रतिलिपि :

1. समूह समन्वयक (अनुसंधान), व.उ.सं., राँची ।
2. सभी प्रभागाध्यक्ष, व.उ.सं., राँची । (ईमेल या अन्य सूचना तंत्र द्वारा) ।
3. संपदा अधिकारी, व.उ.सं., राँची ।
4. विस्तार प्रभाग, व.उ.सं., राँची ।
5. निदेशक के निजी सचिव, व.उ.सं., राँची। कार्यालय के समस्त अधिकारी एवम कर्मों को ईमेल या अन्य सूचना संचार माध्यम से प्रसारित करने हेतु ।
6. सूचना एवं प्रौद्योगिकी, व.उ.सं., राँची । वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत ।
7. आहरण एवं निकासी अधिकारी एवं प्रभारी (प्रशासन), व.उ.सं., राँची ।
8. अनुभाग अधिकारी, व.उ.सं., राँची ।
9. लेखा अनुभाग, व.उ.सं., राँची ।
10. प्रभारी, ई.आर.एस., सुकना।
11. प्रभारी, वन अनुसंधान और विस्तार केंद्र, पटना।
12. प्रभारी, वन अनुसंधान केंद्र, मांडर ।
13. प्रभारी, एन. बी. फार्म, चंदवा।
14. नोटिस पटल (दोनों भवन)
15. गार्ड फाईल।